

दिनांक बनाम


दस्तावेज संख्या / अन्तर्गत धारा.....

| दिनांक | आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज | नम्बर जो इस पालना |
|--------|-----------------------------------|-------------------|
|--------|-----------------------------------|-------------------|

25⁷/₂₂

प्राची अधिवक्ता उपस्थित। प्राची अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। व पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में अप्राची के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश हैं। लिहाजा प्रकरण में जारी दिनांक 22/3/21 की अस्थायी निषेधाज्ञा को मूलवाद के निणयित तक स्थगित किया जाता है। पत्रावली निणयित होकर मूलवाद के साथ संलग्न है।




जिला न्यायाधीश (राजस्थान)
श्री कटुपपुर

